न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्याः 12/2017

सरकार जरिये विनोद कुमार थारवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री लालचन्द गुप्ता पुत्र श्री प्रभुनारायण गुप्ता (विक्रेता एवं मालिक)
   मैसर्स लालचन्द अनिल कुमार,
   नायला रोड, कानोता, तह0 बस्सी, जयपुर।
2. श्री मन्तोष कुमार गुप्ता (नोमिनी)
   मैसर्स तिरूपति उद्योग,
   49–सी, झोटवाडा इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जयपुर।
3. मैसर्स तिरूपति उद्योग (जरिये नोमिनी)
   49–सी, झोटवाडा इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जयपुर।

... अप्रार्थी–अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः 29/06/2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री विनोद कुमार थारवान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.05.2016 को समय दोपहर 12.30 पी0एम0 पर श्री संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ मैसर्स लालचन्द अनिल कुमार, नायला रोड, कानोता, तह0 बस्सी जयपुर पर पहुँचे, वहां श्री लालचन्द गुप्ता पुत्र श्री प्रभुनारायण गुप्ता उपस्थित मिले स्वयं ने उक्त फर्म का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। आवेदक द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र चाहे जाने पर विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की। उक्त ईकाई का निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान में 25 प्लास्टिक सील्ड बोतल सरसों का तेल (पवन) एक रेक में आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। इसमें मिलावट का शक होने पर नमूना लेबल एवं शुद्वता जांच हेतु सरसों का तेल (पवन) 500 एमएल की 4 सील्ड प्लास्टिक बोतल वास्ते नमूना जांच AN-1155 खरीद कर जिसकी कीमत 192/– रूपये विक्रेता को नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की तथा साथ ही उक्त सील्डशुदा टीन पर चस्पा मूल लेबल वजह सबूत प्राप्त किया गया जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन श्री संतोष कुमार गुप्ता एवं श्री संदीप अग्रवाल के हस्ताक्षर कराये एवं आवेदक स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5 ए की

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रतियॉ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ कर, सुना कर एवं समझा कर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री लालचन्द गुप्ता ने भी पढ कर समझ कर व सही मान कर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति विक्रेता श्री लालचन्द गुप्ता को देकर रसीद प्राप्त की, फार्म संख्या 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के संलग्न है। खरीद शुदा 4 सील्ड प्लास्टिक बोतल सरसो का तेल (पवन) पर लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं कमांक AN-1155 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना बोतलो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षशुदा पेपर स्लिप नं. Ac-1155 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना डिब्बों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाघ सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पहुॅच कर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदे प्राप्त कि है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के पत्र कमांक एफएसएसए/2016/293 दिनांक 09.09.2016 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1214/एक्ट/2016/2051 दिनांक 02.06.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (पवन) अनसेफ फूड होना पाया गया। विक्रेता लालचन्द गूप्ता द्वारा अभिहित अधिकारी से प्राप्त

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट हो कर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 में निहित प्रावधानो के अर्न्तगत प्रारूप 8 में अभिहित अधिकारी के यहां मय जांच शुल्क डी.डी. के अपील प्रस्तुत की जिस पर अभिहित अधिकारी द्वारा धारा 46(4) के प्रावधानो के अर्न्तगत नमूना एएन–1155 के द्वितीय भाग की जांच हेतु डायरेक्टर रेफरल फूड लेबोरेट्री पुणे से जांच करवायी। रेफरल फूड लेबोरेट्री पुणे से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड पाया गया। डायरेक्टर सेन्ट्रल फूड लेबोरेट्री पुणे से प्राप्त जांच रिपोर्ट के पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय ने पत्र कमांक / एफएसएसए /2017/159 दिनांक 07.09.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (पवन) विकय/उत्पादन करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंधन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मंयक गुप्ता उपस्थित। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (पवन) सबस्टेण्डर्ड का विकय/निर्माण करके अप्रार्थीगणों ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य सरंक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि जांच रिपोर्ट को देखने से खाद्य पदार्थ में ऐसी कोई में मिलावट होना नहीं पाया गया है, जिससे आम जनता को हानिकारक हो। अप्रार्थी ने अपने स्तर पर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की है। खाद्य विश्लेषक लैब जयपुर द्वारा खाद्य पदार्थ अनसेफ बताया गया है जबकि सेन्ट्रल फूड लेबोरेट्री पुणे द्वारा खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। दोनो लैब की रिपोर्ट में अन्तर पाये जाने पर बेनिफिट ऑफ दा डाउट अभियुक्तगण को ही

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

मिलना चाहिए। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन में ये नमूना किस तरह लिया गया ये स्पष्ट नहीं है। धारा 52 में प्रथम बार सबस्टेण्डर्ड आने पर सुधार हेतु चेतावनी देकर शास्ति से माफी का प्रावधान है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थीगणों–अभियुक्तगणों द्वारा अनसेफ/सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंधन किया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थीगणों–अभियुक्तगणों पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 50,000/–(अक्षरे पचास हजार रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थीगण–अभियुक्तगण जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डा. मोहन लाल यादव)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट–प्रथम जयपुर

Scanned by CamScanner